

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग  
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

संचिका सं.CICOM/R/P/20/00143

दिनांक. 28.02.2020

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
रेल मंत्रालय, रेल भवन,  
नई दिल्ली 110001.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आर.टी.आई. आवेदन का अग्रेशन ।

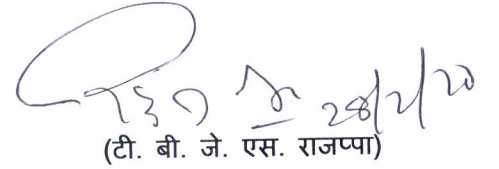
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवेदक श्री अशोक कुमार चावला का गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 27.02.2020 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ है, जो कि आपके विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित है ।

उक्त आवेदन अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आपको अग्रसारित किया जाता है । कृपया सूचना अधिकार अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के तहत वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।

आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने हेतु निर्धारित शुल्क दस रुपये भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में भुगतान कर दिया गया है ।

संलग्नक : आर.टी.आई. आवेदन की प्रति ।



(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
आर.टी.आई.सेल  
दूरभाष - 011-26172690

प्रतिलिपि:-

श्री अशोक कुमार चावला,

- सूचना उक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी ।